



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241667
CG-DL-E-04012023-241667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944

No. 26]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 29(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी पुत्र मुहम्मद अब्दुल्लाह अहंगर, जिसका जन्म 1974 में नवाकदल, श्रीनगर में हुआ, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में रह रहा है, इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजेके) का मुख्य भर्तीकर्ता है ;

और, उक्त एजाज अहमद अहंगर का अल-कायदा और अन्य वैश्विक आतंकी समूहों से निकट संबंध है और वह भारत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) चैनलों को पुनःप्रारंभ करने में लगा हुआ है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर, कश्मीर को आतंकवाद की ओर झोंकने में लगा हुआ है और उसने अपने कश्मीर आधारित तंत्र में शामिल करने के लिए लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर को भारत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) भर्ती सैल का प्रमुख नियुक्त किया गया है और वह ऑन-लाइन भारत-केंद्रित आईएसआईएस दुष्प्रचार पत्रिका प्रारंभ करने में सहायक रहा है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर, जम्मू-कश्मीर में दो दशकों से अधिक से वांछित आतंकवादी है और उसने विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मध्य समन्वय चैनल बनाकर जम्मू-कश्मीर में आतंक संबद्धी रणनीति बनानी आरंभ कर दी है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी आतंकवाद में शामिल है और उक्त एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“49. एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी ” ।

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण :- विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4679 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

S.O. 29(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri son of Mohd. Abdullah Ahanger born in Nawakadal, Srinagar in 1974 presently based in Afghanistan is one of the chief recruiters of Islamic State Jammu and Kashmir (ISJK);

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger has close contacts with Al- Qaida and other Global Terrorist Groups and is engaged in restarting the Islamic State (IS) channels in India;

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger is working towards providing traction to militancy in Kashmir and has started the process of identifying people for inclusion in his Kashmir based network;

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger was appointed as head of Islamic State (IS) recruitment cell for India and had been instrumental in initiating an online India-centric ISIS Propaganda Magazine;

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger is a wanted terrorist in Jammu and Kashmir for more than two decades and has started planning terror related strategies in Jammu and Kashmir by building coordination channels between various terrorist organisations;

And whereas, the Central Government believes that Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri is involved in terrorism and the said Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 48 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“49. Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri ”.

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O.4679 (E), dated the 4th October, 2022.